


फर्द अहकाम

(नियम-13)

(Genral Rulas (Civil), Rule 103, Appendix B Form No. 91)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाडनूं जिला-डीडवाना-कुचामन (राज0)

प्रार्थी / वादीगण	अप्रार्थी / प्रतिवादी
पुत्र सादूल खां जाति कायमखानी डनूं तहसील लाडनूं जिला कुचामन	बनाम नानूराम पुत्र पूर्णाराम जाति ब्राह्मण निवासी ओडिन्ट तहसील लाडनूं जिला डीडवाना-कुचामन व अन्य
दमा अंतर्गत धारा 188, 88, आर.टी.एक्ट	मुकदमा संख्या:- 2026/04

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
06.01.2026	<p>प्रार्थी/वादी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह वाद पत्र अंतर्गत धारा 188, 88, आर.टी.एक्ट प्रतिवादीगण वगैरह के विरुद्ध पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिसेज (रजिस्टर्ड मय डिलीवरी रिपोर्ट) के तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 10.02.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (मीनू वर्मा) उपखण्ड अधिकारी लाडनूं </p>	
10/2/26	<p>पत्रावली पेश हुई। वार संघ, लाडनूं ने कार्य स्थगित रखा है। पेश दिनांक 11/3/26 को पेश हो।</p>	
11/3/26	<p>पत्रावली पेश हुई। वार संघ, लाडनूं ने कार्य स्थगित रखा है। पेश दिनांक 11/3/26 को पेश हो।</p>	
9/4/26	<p>वादी आज उपस्थित आया। वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की ओर इसी अर्थ में सिविल वाद सिविल जहायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। जिससे इस वाद को चलाना नहीं चाहते हैं। पत्रावली को नष्ट पर लिया जाकर जरिये निडोल खार्क फरमावी।</p> <p>वादी को सुना गया तथा वादी के आदेशना पर इस्तां अंकित करवाये गये। वादी द्वारा</p>	<p style="text-align: right;">विषय</p>